प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।

2– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांकः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/ 7113-7286 /2019–20 दिनांक 23–**04–2019**

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को शैक्षिक सत्र 2019–20 में कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश हेतु दिनांक 24.04.2019 करे लॉटरी निकालने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शिविर)/ 5770–867/2019–20 दिनांक 16 अप्रैल 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा–1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु लॉटरी की प्रक्रिया विषयक है।

उक्त के सम्बन्ध में आव अवगत है कि शैक्षिक सत्र 2019–20 हेतु केवल एक चरण में आवेदन पत्र प्राप्त किये गये है और उनका सत्यापन आपके स्तर से किया गया है। इस सम्बन्ध में आपको निम्नलिखित निर्देश दिये जाते है–

1– दिनांक **24.04.2019** को लॉटरी निकालने की प्रक्रिया सुनिश्चित करें।
2– लॉटरी हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉग–इन व पासवर्ड का उपयोग करें।
3– लॉटरी में चयनित बच्चों का प्रवेश सम्बन्धित विद्यालयों में दिनांक 05 मई 2019 तक प्रवेश कराना सुनिश्चित करायें।

लॉटरी निकालने की प्रक्रिया–

1– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉग–इन पासवर्ड से लाग–इन करें।
2– **Action** पर **click** करें तत्पश्चात **Randomisation Lottery** पर **click** करें।
3– **Randomisation** हेतु **OK** पर **click** करें। (आप जितनी बार चाहें **Randomisation** कर सकते है।)
4– **Randomisation** करने के पश्चात **CAPTCHA** भरें तथा **Lock** पर **click** करें। (**Lock** करने पश्चात **Randomisation** नहीं किया जा सकता है।)
5– **Lock** करने के पश्चात आपके कम्प्यूटर पर एक सूची प्रदर्शित होगी इसका अर्थ है कि आप द्वारा **Randomisation Lottery** की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है।
6– पुनः **Action** पर **click** करें तत्पश्चात **Seat Allotment** पर **click** करें।
7– **Seat Allotment** करने हेतु **CAPTCHA** भरें तथा **Seat Allotment** पर **click** करें।*(एक बार **click** करनें के पश्चात 1–100 तक बच्चों को सीट एलॉट होगी, यदि 100 से अधिक बच्चें हैं तो यह प्रक्रिया तब तक करें जब तक कुल बच्चों को सीट एलॉट नहीं हो जाये।)*
8– **Seat Allotment** पर **click** करने के पश्चात चयनित बच्चों की सूची प्रदर्शित होगी।

नोट–लॉटरी निकालते समय
उपरोक्त चरणों को ध्यानपूर्वक करें जिससे लॉटरी निकालने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक की जा सके।

लॉटरी निकालने के पश्चात प्रवेश की कार्यवाही–

I. लॉटरी में चयनित बच्चों तथा अचयनित बच्चों की सूची को डै म्गबमस थ्वतउंज में डाउनलोड करते हुए पत्रावली में संरक्षित करें।
II. चयनित बच्चों की सूची वेब पोर्टल पर स्वतः प्रदर्शित हो जाती है अतः चयनित बच्चों की सूची कार्यालय में भी चस्पा करायें।

III. चयनित बच्चों के प्रवेश की समस्त प्रक्रिया दिनांक 05 मई 2019 तक पूर्ण करते हुए विद्यालय में प्रवेश करायें।

IV. चयनित बच्चों की सूची जिलाधिकारी से अनुमोदित करायें।

V. चयनित बच्चों का नोडल अधिकारी के माध्यम से भौतिक सत्यापन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ललिता प्रदीप)
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्याः शि0नि0(बे0)/अ0शि0नि0(शि0)/ 7113 - 7286 /2019–20, तद्दिनांक।

1– निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन।
4– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0, लखनऊ।
5– जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
6– अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7– श्री0 ए0पी0 सिह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एन0आई0सी0, ए, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की दिनांक 24.04.2019 को लॉटरी निकालने हेतु पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(ललिता प्रदीप)
अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक)
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।